झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची

जानिए
लिंग चयन निषेध कानून

हमारे समाज में हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव चला आ रहा है। लड़कियाँ दुर्व्यवहार, भेदभाव और शोषण की शिकार रही हैं। लड़कियों की ओर इस नजरिये का नतीजा यह था कि लड़कियों को अक्सर जन्म होते ही मार दिया जाता था। जहर देना, गला घोंटना यह सब रास्ते अपनाये जाते थे।

हमारे समाज में हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव चला आ रहा है। लड़कियाँ दुर्व्यवहार, भेदभाव और शोषण की शिकार रही हैं। लड़कियों की ओर इस नजरिये का नतीजा यह था कि लड़कियों को अक्सर जन्म होते ही मार दिया जाता था। जहर देना, गला घोंटना यह सब रास्ते अपनाये जाते थे।

लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में बच्चे के जन्म से पूर्व ही अल्ट्रासाऊन्ड या सोनोग्राफी जैसी तकनीक का गलत उपयोग करके यह जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा लड़का है या लड़की। यह पता चलते ही कि गर्भ में लड़की पल रही है उसका जन्म होने से पूर्व ही गर्भपात करवाकर उसे खत्म कर दिया जाता है। इसके इतने भयंकर परिणाम हो गये हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या लगातार कम होने लगी है। इसलिये इस तकनीक का गलत उपयोग रोकने के लिये यह कानून बनाया गया : **गर्भधारण पूर्व और प्रसुति पूर्व निदान, तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994।**

यह कानून कहता है :

- किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक, जो बच्चे के जन्म के पहले किसी प्रकार की विकलांगता इत्यादि का पता चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो, वह केवल उसी प्रयोग में लाई जा सकती है। उनका किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग में लाना गैर-कानूनी है।
- फिर भी, ऐसी तकनीक का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि
  - महिला की उम्र 35 साल से ऊपर हो,
  - उसके दो या अधिक प्राकृतिक गर्भपात हो चुके हो
  - महिला हानिकारक दवाईयों, रेडिएशन इत्यादि से प्रभावित हो
  - महिला या उसके पति के परिवारों में मानसिक या शारीरिक विकलांगता का इतिहास हो
- ऊपर दी गई परिस्थितियों में भी अल्ट्रासाऊण्ड करने वाले व्यक्ति को
  - परीक्षण (टेस्ट) का पूरा ब्यौरा रखना होगा।
  - ऐसा न करने पर उसे इस कानून में दण्ड दिया जा सकता है।
  - टेस्ट करने वाले को उसके संभावित खराब असर के बारे में समझाना होगा।
  - टेस्ट के लिए महिला की लिखित अनुमति लेनी होगी और उसे इस अनुमति की कॉपी देनी होगी।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह उसका पति या अन्य रिश्तेदार क्यों न हो, किसी महिला को गैरकानूनी टेस्ट के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि करें, तो उन्हें इस कानून में सजा हो सकती है।

- गर्भ की लिंग जाँच इस कानून में दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीके से गर्भ का लिंग बताना दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जाँच या चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है, इस कानून में दण्ड पा सकता है। अगर किसी औरत को जाँच के लिए मजबूर किया गया हो तो उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी।

इसकी सजा है 3 साल तक की जेल और 50,000/- रूपए तक का जुर्माना। दोबारा अपराध करने से 5 साल तक की जेल और 1,00,000/- रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई भी डॉक्टर या तकनीकी सहायक जो ऐसा गैर-कानूनी टेस्ट करता है उसे 3 साल तक की जेल और 10,000/- रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि अपराध दोबारा किया जाए तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000/- रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

- लिंग जाँच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार देना दण्डनीय है। ऐसा करने के लिए दण्ड है 3 साल तक की जेल और 10,000/- रूपए तक का जुर्माना।

लिंग जाँच करवाने वाले पंजीकृत डायग्नोस्टिक केन्द्र या क्लीनिक का क्या होगा ?

ऐसे केन्द्रों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया जाएगा

और उसे सील कर दिया जाएगा। यानि वह अब वहाँ अपना कारोबार नहीं चला सकते।

यदि आप किसी ऐसे क्लीनिक, डॉक्टर या व्यक्ति को जानते हैं जो लिंग जाँच या चयन कराते हों तो उनकी शिकायत अपने क्षेत्र के 'समुचित प्राधिकरण' को करें। ये आमतौर पर जिला के कलेक्टर जैसे कोई अधिकारी होते हैं।

गोद लेने का कानून

सावित्री और श्रीनाथ की शादी हुए दस साल हुए हैं। दोनों हँसी-खुशी से रहते हैं। उनको बस एक ही दु:ख है - सावित्री की गोद सूनी है। श्रीनाथ कहता है - ''भगवान की मर्जी। बाकी तो कुछ कमी नहीं है। लेकिन जब वे किसी और के बच्चे को देखते हैं तो मन में टीस उठती है - काश हमारी भी एक संतान होती।''

श्रीनाथ की माँ कहने लगी, ''बेटा दूसरी शादी कर लो।'' श्रीनाथ नाराज हो गया। बोला, ''यह गलत काम मैं नहीं करूँगा। भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, सावित्री क्या करे?'' रोज घर में बहस होने लगी। धीरे-धीरे बात शांता दीदी के कानों में पहुँची। दीदी बालबाड़ी सेविका हैं। उन्होंने श्रीनाथ को कहा, ''जिले के अस्पताल में जाकर जाँच करवा लो अपनी और सावित्री की। वे कुछ दवा या आपरेशन बता देंगे।'' सब जाँच करने के बाद डाक्टरनी बोली, ''श्रीनाथ सावित्री में कोई दोष नहीं, तुम्हारे में कमी है। तुम्हारे वीर्य में शुक्रजंतु बहुत कम हैं, इसलिए सावित्री को गर्भ नहीं रहता। लेकिन चिन्ता नहीं करो। दुनिया में कितने ही बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप नहीं। गोद ले लो कोई अनाथ बालक।''

चुपचाप सावित्री और श्रीनाथ घर लौटे। सावित्री ने सास से कहा, ''अम्मा जी। डॉक्टरनी कहती हैं, हमे बच्चा नहीं होगा। कहती थी बच्चा गोद ले लो।''

बहुत सोच-समझकर तीनों ने तय किया कि बच्चा गोद लेना चाहिए। लेकिन कैसे? शांता दीदी से पूछा। वह बोली, ''मेरे चाचा वकील के यहाँ मुनीम हैं। उनसे पूछते हैं। वह वकील साहब से हमारी बात करवा देंगे।'' वकील साहब नहीं, वकील साहिबा थीं। वे बोलीं, ''बहुत खुशी की बात है, आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं। श्रीनाथ बच्चा गोद ले सकता है। सावित्री उस बच्चे की माँ बनेगी। लेकिन दत्तक कानून के मुताबिक होना चाहिये, नहीं तो वह अवैध होगा।''

श्रीनाथ बोला, ''वकील साहिबा, दत्तक, यानि गोद लेने का कानून क्या है ?''

वकील साहिबा बोली, ''इस कानून का नाम है, **हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956**।'

गोद लेने के लिये कुछ बातें जरूरी हैं। एक हिन्दू पुरूष गोद ले सकता है अगर :

- स्वस्थचित हो यानि पागल न हो और उसकी उम्र कम से कम 21 साल हो। यदि वह शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी की सहमति या मंजूरी आवश्यक है।
- यदि पत्नी पागल है, या उसने सन्यास लिया है, या वह हिन्दू नहीं है, तो पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है।

सावित्री बोली, ''मेरी ननद विधवा है। उन्हें भी बच्चा नहीं, तो वह क्या करेगी ?''

वकील साहिबा ने कहा -

- विधवा, तलाकशुदा या जिसने शादी की ही नहीं, ऐसी हिन्दू औरत भी बच्चा गोद ले सकती है।
- गोद लेने वाली औरत स्वस्थचित हो, यानि पागल न हो। उस की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिये।
- यदि वह शादीशुदा है तो उसका पति ही बच्चा गोद ले सकता है, वह स्वयं नहीं।
- यदि पति पागल है, हिन्दू नहीं रहा है, सन्यासी बन चुका है तो महिला को बच्चा गोद लेने की अनुमति है।

श्रीनाथ ने पूछा, ''दत्तक कौन दे सकता है ?''

''बच्चों के पिता गोद दे सकते हैं। लेकिन गोद देने के लिये माता की अनुमति आवश्यक है। बच्चे के पिता नहीं हैं तो उसकी माता गोद दे सकती है। यदि पति पागल है, या उसने सन्यास लिया है तो इस स्थिति में भी माता गोद दे सकती है। और दोनों नही हैं तो उसके संरक्षक।''

संरक्षक केवल कोर्ट की अनुमति से ही बच्चा गोद दे सकता है। संरक्षक से गोद लेते समय कोर्ट यह देखेगी कि यह दत्तक बच्चे की भलाई के लिये है या नहीं।

श्रीनाथ ने कहा, ''लेकिन हमारी नजर में कोई ऐसे लोग नहीं जो अपना बच्चा गोद देना चाहेंगे। न ही आस पास कोई ऐसा बच्चा है, जिसके माँ-बाप नहीं हैं। हम क्या करें ?''

वकील साहिबा बोली : ''अनाथालय वाले कई बच्चों के संरक्षक होते हैं। उनके पास ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। माँ-बाप वाले बच्चे को गोद लेने से अनाथ बच्चा गोद लेना ज्यादा अच्छा है।''

श्रीनाथ ने पूछा, ''अनाथालय में जाकर क्या करेंगे ?''

वकील साहिबा बोलीं : ''अनाथालय में जाकर आप अर्जी दीजिए। वहाँ से कल्याण कार्यकर्ता आपके घर आयेंगे। वह आपका घर, परिवार, आपका स्वभाव, आपकी आमदनी, सब कुछ देखेंगे। फिर वे आपको बच्चे दिखाएँगे। आप अपनी पसंद का बच्चा या बच्ची गोद ले सकते हैं। वे बच्चा आपको गोद दे देंगे। अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए अदालत जाना जरूरी है।''

अगर बच्चा माता-पिता से गोद ले रहें हो, तो उसे किसी भी

रस्म से लिया जा सकता है। हाँ, दत्तक देने और दत्तक लेने का इरादा सफ़ होना चाहिये। स्टाम्प पेपर पर भी लिखा-पढ़ी हो सकती है। इस दस्तावेल को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवा लिया जाये तो बेहतर होगा। फ़िर दत्तक को कोई आसानी से नकार नहीं सकता।

सावित्री अब तक चुप थी। वह बोली, ''दीदी जी, मुझे बेटी की भी बहुत इच्छा है। एक बेटा हो, एक बेटी। क्या यह नहीं हो सकता ?''

''जरूर हो सकता है। पहले कोई एक ले लो फिर दूसरा भी ले लेना।''

श्रीनाथ बोला, ''क्या हम दो बेटे और एक बेटी ले सकते हैं?''

''नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई एक बेटी और एक बेटा ले सकता है। जिसके बेटियाँ हैं वह बेटा ले सकता है, जिसके बेटे ही हैं, वह बेटी ले सकता है, जिसके बेटा-बेटी दोनों हैं, वह बच्चा गोद नहीं ले सकता।''

आपका बेटा, पोता या पड़पोता हो और वह हिन्दू हो तो आप बेटा दत्तक यानि गोद नहीं ले सकते। यदि आपकी बेटी या पोती है और वह हिन्दू है तो आप बेटी गोद नहीं ले सकते।

''दीदी हम कैसा बच्चा गोद ले सकते हैं ?''

- वह हिन्दू होना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो।
- उसे किसी ने पहले गोद न लिया हो।
- उसकी उम्र 15 साल से कम हो।
- उसकी शादी न हुई हो।
- **पुरूष अगर लड़की गोद लेता है तो उसकी और लड़की की उम्र में कम से कम 21 साल का अन्तर होना जरूरी है। इसी तरह अगर औरत लड़का गोद लेती है तो उन दोनों में भी कम से कम 21 साल का अन्तर होना चाहिये।**

सावित्री बोली, ''दीदी जी, दत्तक लेने से बच्चा क्या असली में हमारा हो जाता है ?''

''बिल्कुल। गोद लिया हुआ बच्चा उतना ही आपका होता है, जितना की माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चा। दोनों ही हमेशा-हमेशा के लिए आपके बच्चे हैं! आप उन्हें नकार नहीं सकते। दोनों ही आपका नाम लिखेंगे। कुछ बातें जरूरी हैं, जैसे :-

- यह बच्चा अपने जन्म के परिवार तथा दत्तक परिवार के किसी सदस्य से शादी नहीं कर सकेगा।
- जन्म के परिवार से उसे कोई जायदाद या दौलत मिली हो तो वह उसे दत्तक के बाद रख सकता है।

हाँ, जायदाद या दौलत के साथ उसे जन्म देने वाले माँ-बाप की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी।

- उसके गोद लिए जाने के पहले नये परिवार के लोगों को जो दौलत या जायदाद मिल चुकी थी, उस पर उनके अधिकार वैसे ही बने रहेंगे।
- गोद लेने वाले परिवार से गोद लिये गये बच्चे को बिल्कुल वैसे ही अधिकार मिलेंगे जैसे जन्म लिये बच्चे को मिलते हैं।

श्रीनाथ ने पूछा, ''दीदीजी, बच्चा गोद लेने में खर्चा कितना आयेगा ? अनाथालय कुछ रूपये भी माँगेगा ?''

दीदी जी हँसकर बोलीं, ''अरे नहीं। बच्चा खरीदा-बेचा थोड़े ही जाता है। ऐसे पैसे लेना अपराध है। एक बच्चे को माँ-बाप मिलते हैं। खुशी की बात है। कोर्ट में जाकर कागज भरना पड़ता है उसकी फीस लगती है।''

''नमस्ते दीदी जी'' कह कर श्रीनाथ और सावित्री चल पड़े। अब उनके भी घर में बच्चा आने की उम्मीद थी।

श्रीनाथ और सावित्री ने गाँव जाकर हिन्दू दत्तक कानून के बारे में सबको बताया। उनके मोहल्ले में अनीसा और नूर मुहम्मद रहते थे। उन्हें भी बच्चा नहीं था। कुछ आगे मेरी तथा जॉन रहते थे। वे भी नि:संतान थे। दोनों जोड़ों ने सोचा, चलो हम भी बच्चा गोद लें। वह श्रीनाथ सावित्री के साथ जिले के अनाथालय में गये। वहाँ की संचालिका ने सबके नाम पूछे। फिर बोली, ''केवल हिन्दू लोग बच्चा गोद ले सकते हैं। आप लोगों को हम बच्चा गोद नहीं दे सकते। बच्चा लेने वाले माँ-बाप और देने वाले सभी हिन्दू होने चाहिए।'' अनीसा की आँखों में आँसू आ गये। जॉन भी मायूस हो गया। नूर और मेरी को भी बुरा लगा।

''तो क्या हम ईसाई और मुसलमान लोग गोद लिये बच्चे के माँ-बाप नहीं बन सकते ? हमें भी एक बेटा, एक बेटी चाहिए।''

संचालिका बोलीं, एक रास्ता तो है। आप बच्चे के संरक्षक बन सकते हैं। उसके लिए भी कानून है जिसे कहते हैं : **संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890**। इसमें कुछ बातें गोद लेने से भिन्न हैं। वे हैं :-

- वह बच्ची या बच्चा आपका नाम नहीं लेंगे। उनका पुराना नाम ही रहेगा।
- बच्चा 21 साल का हो जाने पर आजाद हो जाएगा।
- वैसे भी अगर कोर्ट की निगरानी में आप अच्छे पालक नहीं हैं तो कोर्ट आपका पालकत्व रद्द कर देगा। यदि बच्चा आपको तंग करता है तो आप भी उसे कोर्ट को वापिस दे सकते हैं।
- उस बच्चे को या बच्ची को आपकी संतान नहीं माना जायेगा। आप उसके माँ-बाप नहीं केवल पालक होंगे।

मेरी को गुस्सा आ गया। वह बोली ''यह भी कोई बात है - बच्चा बड़े होकर पूछेगा, आप कौन हो तो हम क्या कहेंगे - हम तुम्हारे माँ-बाप नहीं हैं ? वह बच्चे क्या सोचेंगे ? हम क्यों नहीं गोद ले सकते ?'' नूर ने कहा, ''ठीक कहती है मेरी। हम भी गोद ही लेंगे।''

संचालिका मुस्कराई। बोली, ''अभी तो केवल गोद लेने का हिन्दू कानून ही है। हमें सरकार से माँग करनी होगी कि आप भारतीय दत्तक अधिनियम बनाईये। हम किसी भी धर्म के हों, बच्चा गोद ले पायें। बच्चा किसी भी धर्म का हो, उसे माँ बाप पाने का अधिकार हो।'' दोनों जोड़ों ने सोचा कि यह तो अन्याय है। फिर भी, सारा जीवन अकेले बिताने से तो अच्छा होगा किसी बच्चे के पालक बन जाएँ। उन्होंने भी कोर्ट में एक अर्जी दी और दो अनाथ बच्चों को घर ले गये।

गोद लेना

गोद लेने के तीन कानून हैं :

- हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956,
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890
- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

गोद लेने के लिए कहाँ संपर्क करें :

- कारा (सेन्ट्रल अडॉपशन रिसोर्स एजेन्सी), स्थानीय कोऑर्डिनेटिंग एजेन्सी, शिशु गृह या बाल कल्याण समिति।
- गोद लेने के लिए ऐसी संस्थाओं के पास न जाएँ जो पंजीकृत नहीं हैं।

गोद लेने की प्रक्रिया

- गोद लेने के इच्छुक माता-पिता को किसी दत्तक संस्था के पास पंजीकृत (रजिस्टर) होना होगा।
- वे इच्छुक माता-पिता का गृह निरीक्षण (होम स्टडी) करेंगे।
- इस गृह-निरीक्षण के समय इच्छुक माता-पिता को भी उनकी शंकाएँ इत्यादि दूर करने के लिए समाजसेवी द्वारा सलाह दी जाएगी।
- यह देखना आवश्यक होता है कि इच्छुक माता-पिता में दत्तक बच्चा पालने की क्षमता है या नहीं।
- इसके बाद इच्छुक माता-पिता अपनी वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के दस्तावेज दत्तक संस्था को देंगे।
- फिर उन्हें बच्चा दिखाया जाता है। संस्था कोशिश करती है कि माता-पिता द्वारा बताए गए लक्षणों से मिलता-जुलता बच्चा दिया जाए।
- ऐसा करने पर दत्तक संस्था कोर्ट में दत्तक के लिए अर्जी देती है।

महत्वपूर्ण तथ्य :-

- यह जानकारी केवल जनजागरूकता के लिए दी जा रही है तथा कोई भी दावा प्रस्तुत करने से पूर्व मूल योजना द्रष्टव्य है।

सूचना एवं सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें :-

- सभी तरह की जानकारी तथा मदद के लिए (मदद के तहत विहित प्रपत्र उपलब्ध करना, उसे भरने में मदद करना तथा उसे सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना शामिल है।) निकटतम अनुमंडल विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष / सचिव का मोबाइल नं० तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव का मोबाइल नं० झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.jhalsa.org पर उपलब्ध है।
- हर तरह के सहायता के लिए कृपया सदस्य सचिव (मोबाइल - 08986601912) अथवा उपसचिव (मोबाइल - 09431387340), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची का विस्तृत विवरण यह है :

पता-न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), महालेखाकार कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची-834002, फैक्स-0651-2482397, टेलीफोन - 0651-2482392, 2482030, 2481520, ई-मेल- jhalsaranchi@gmail.com

यह पाठ्य सामग्री झालसा के वेबसाइट *(www.jhalsa.org)* पर भी उपलब्ध है।

❑❑❑

प्रकाशन वर्ष : 2016